Schemes Launched on the world elders day

1664. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SMT. VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBAJI RAO SHINDE:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the schemes and programmes launched by Government on the World Elders' Day;

(b) whether an habitation and travel facilities are proposed to be provided to the destituleaged persons, especially women; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINSITER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) No new schemes and programmes were launched by the Government on the World Elders' Day, 1996.

(b) and (c) The Minsitry of Welfare's scheme of assistance to country organisaitons for programmes relating to the Welfare of the aged provides for grants-in-aid to non-Government organisations for establishing and maintaining old age homes, day care centres and mobile medicare units for the elderly.

The Ministry of Railways grants 25% concession in second class and sleeper class Mail/Express fares to senior citizens of the age 65 years and above. This concession is admissible for all citizens irrespective of their sex and financial status. Indian Airlines provides 50% air-discount on fares to aged persons, including women, of the age of 65 years and above, under its senior citizens Discount Schemes.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम को आवंटित गई निधियां

1665. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस० एस० सुरजेवाला:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम को कि धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान यह धनराशि राज्य-किस प्रकार वितरित की गई;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां रा अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम गठित किये गए तथा इन निगमों के सदस्य कौन-कौन है;

(घ) अन्य राज्यों में ऐसा निगमं गठित करने के लि केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या पिछले वर्ष आवंटित की गई धनराशि का पू उपयोग कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो लाभभोगियों की राज्य-वार संख कितनी-कितनी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को आ तक की प्रदत्त शेयर पूंजी 104.00 करोड़ रुपए है। इसमें केन्द्रीय सरकार निगम को शेयर इक्विटी पूंजी के लि 89.00 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है। (नी देखिए)

(ग) राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमों क स्थापना उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में की जा चुकी है। क्योंकि ये निगम अपनी संबंधित राज्य सरकारों की पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली कम्पनियां हैं, इसलिए इन निगमों के सदस्य का गठन राज्य सरकारें करती है।

(घ) अन्य राज्यों में ऐसे निगमों की स्थापना करन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने शीर्ष निकाय होने के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वह राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमों की स्थापना करें।

(ङ) जी, नहीं।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त द्वारा राज्यवार वितरित धनराशि के वितरण तथा पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 1995-96 के दौरान शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं॰	राज्यों के नाम	वितरित धनराशि (रु॰ लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	98.00	1650
2.	हरियाणा	93.44	263
3.	जम्मू और कश्मीर	112.83	230
4.	कर्नाटक	23.65	210
5.	मध्य प्रदेश	136.29	763
6.	पंजाब	91.69	181
7.	उत्तर प्रदेश	93.18	1500
		649.08	4797

सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित गुजरात की कल्याणकारी योजनाएं

1666. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की कुछ कल्याणकारी योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इन पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है; और

(ङ) उक्त योनजाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ दो प्रस्ताव जनमें से एक अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत और दूसरा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत-क्रमशः सितम्बर, 1996 और नवम्बर, 1996 में प्राप्त हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ दो प्रस्ताव अर्थात् एक लड़कों के लिए छात्रावास की योजना के अंतर्गत और दूसरा लड़कियों के लिए छात्रावास योजना के अंगर्गत अक्तूबर, 1996 में प्राप्त हुए है।

(ग) और (घ) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत 164.50 लाख रु॰ की निर्मुक्ति को 1996-97 में गुजरात सरकार को देय केन्द्रीय सहायता में से निधियों के आंतरिक पुनर्विनियोजन के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। वर्तमान वर्ष में 212.84 लाख रु॰ की देय शेष केन्द्रीय सहायता को निर्मुक्ति वित्त वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी। कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का प्रस्ताव, जिसमें 5.09 लाख रु॰ की धनराशि शामिल है, प्रक्रियाधीन है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ प्रस्ताव राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरणों के लिए लम्बित है।

(ङ) इस अवस्था में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

Feasibility of setting up a passenger car plant in Visakhapatnam or Kakinada.

1667. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI SAIFULLA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state: